रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1974/पौष 10, 1896

No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 1974/PAUSA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Library 21 JAN 19

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st December 1974

SUBJECT: *Exports from Domestic Tariff Area (DTA) to Kandla Free Trade Zone*

No. 195-ITC(PN)/74.—It has been decided that supplies of capital goods, raw materials components, tools, packaging materials and spare parts made from Domestic Tariff Area to the units in Kandla Free Trade Zone will be eligible for import replenishment licences in accordance with the provisions of the import policy for Registered Exporters as contained in Import Trade Control Policy (Red Book—Volume II) for the period April 1974—March 1975, provided (i) the goods supplied are manufactured in India, (ii) the supplies are made at international price, (iii) the supplier is a Registered Exporter and is otherwise eligible to the import replenishment licence under the policy in force and (iv) the supplies are made against a letter of authority issued by the Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham.

2. The licensing authority for dealing with applications for import replenishment licences in respect of such supplies will be the Controller of Imports and Exports, Kandla Free Trade Zone, Gandhidham. Applications for licences should be made to the licensing authority in the prescribed form and manner. The detailed procedure for submission of applications can be ascertained by the applicants from the Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone, the licensing authority and the Export Promotion Councils.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1974

विषय.—स्वदेशी तटकर क्षेत्र (डी० टी० ए०) से कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र को निर्यात ।

सं० 195-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74.—यह निश्चित किया गया है कि पूंजी गत माल, कच्ची सामग्री, यंत्रों, संघटनों पैकिंग करने की सामग्री और बने हुये फालतू पुर्जों का स्वदेशी तटकर क्षेत्र से कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों को संभरण करना अप्रैल, 1974-मार्च, 1975 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक–2) में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति की शर्तों के अनुसार आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिये वांछनीय होगा बशर्ते कि (1) संभरित माल भारत में विनिर्मित हो, (2) संभरण अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर किये जाते हों, (3) संभरक पंजीकृत निर्यातक हो और लागू नीति के अधीन आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिये अन्य सब प्रकार से पात्र हो और (4) संभरण, विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र के आधार पर किया गया हो ।

2. ऐसे संभरण के संबंध में आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों से संबंध्द लाइसेंस प्राधिकारी नियंत्रक, आयात निर्यात, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम होगा । लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में और तरीके से लाइसेंस प्राधिकारी को भेजने चाहिए । आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये विस्तृत क्रियाविधि का सुनिश्चिय आवेदकों द्वारा विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से, लाइसेंस प्राधिकारी से और निर्यात संवर्धन परिषदों से किया जा सकता है ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974